B.A. Part 2
Paper IIIrd

22.8.20

कृषि - बाजार - व्यवस्था
(Agricultural Marketing)

प्राक्कथन - किसानों की आर्थिक समृद्धि कृषि उपज के आधिक्य की समुचित विक्रय - व्यवस्था पर भी निर्भर करती है। किन्तु दुर्भाग्यवश अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में भारतीय किसान बहुधा असमर्थ सिद्ध होते हैं। हमारे देश में प्रचलित वर्तमान कृषि - बाजार व्यवस्था के अंतर्गत किसान तथा उनकी उपज के अन्तिम उपभोक्ताओं के बीच बिचवैयों की एक लम्बी लड़ी लगी हुई है जो इनके लाभ का एक बड़ा भाग अपनी आवश्यक सेवाओं के लिए ले लेते हैं। शाही कृषि आयोग के अनुसार, "किसानों के हितों को आर्थिक परिस्थितियों के मुक्त प्रवाह में बिना किसी सहारे के छोड़ दिया जाता है जिससे उन्हें अत्यधिक क्षति उठानी पड़ती है। इसका कारण यह है कि उपज के ~~वित~~ वितरणकर्त्ता जो अधिकाधिक संगठित होते हैं तथा उपभोक्ताओं के अनुपात में वह एक अत्यन्त छोटी सी इकाई है।" प्राचीन काल में जब भारतीय किसान स्वयं अपने जीवन- ~~निर्वाह~~ निर्वाह के लिए कृषि का कार्य करते थे, तब उन्हें बाजार की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन आजकल ग्रामीण अर्थ- व्यवस्था में 'कृषि के वाणिज्यकरण' (Commercialisation of Agriculture) तथा व्यापक प्रतियोगिता के फलस्वरूप कृषि बाजार की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो गयी है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो कुछ भी अतिरिक्त उपज बचती है उसे किसान ~~लग~~ लगान चुकाने, महाजनों के ऋण वापिस करने तथा अन्य आवश्यक खर्चों की ~~आप~~ ~~आपूर्ति~~ आपूर्ति के लिए बेच देता है। कृषि एवं किसानों के आर्थिक जीवन में कृषि - बाजार का महत्त्व प्रथम पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग के निम्न बयान से भी अधिक स्पष्ट हो जाता है - "The purchase of the agriculturalist's requirements and the sale of his surplus produce are key activities in the business of farming and their importance is likely to be even more crucial in a socially regulated economy. But due to his inability to secure a fair deal at these two stages the average agriculturist is denied the full fruits of ~~of~~ his industry".

वर्तमान कृषि - बाजार की व्यवस्था (Present system of Agricultural Marketing) - आजकल हमारे देश में कृषि - उपज के विक्रय की निम्नांकित व्यवस्था पायी जाती है -

Scanned by CamScanner

(1) गाँवों में बिक्री - भारतीय किसान सामान्यतया अपनी अतिरिक्त उपज को अधिकांश भाग गाँवों में ही बेचता है। गाँवों में बिक्री की जानलेवा उपज के सम्बन्ध में विभिन्न अनुमान इस प्रकार लगाए गये हैं - पंजाब के गाँवों में ही 90% गेहूँ, 35% कपास तथा 75% भाग तिलहन बेच दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में 80% गेहूँ, 40% चावल और 75% तिलहन तथा बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल में 85% तिलहन एवं 90% जूट गाँवों में ही बेच दिया जाता है। जहाँ किसान पर ऋण का बोझ अधिक होता है वहाँ उन्हें अपनी उपज का अधिकांश भाग गाँवों में बेचने के लिए ही बाध्य (Distress Selling) होना पड़ता है। किसान जब अपनी उपज बाजार में नहीं ले जाकर गाँवों में ही बेचता है तो उसे उचित मूल्य से बहुत ही कम मूल्य मिल पाता है।

(2) बाजार और मंडियों में बिक्री - किसानों की अतिरिक्त उपज बाजार में भी बिक्री के लिए आती है। खाद्यान्नों की अपेक्षा व्यावसायिक फसलों का अधिक भाग बाजार एवं मण्डियों में बिक्री के लिए आता है। मण्डियाँ प्रायः दो प्रकार की होती हैं - संगठित तथा असंगठित। भारत में बहुत कम बाजार एवं मण्डियाँ अभी संगठित हैं, अधिकांश असंगठित एवं पुराने ढंग की ही मंडियाँ पायी जाती हैं। इन्हें आढ़तियों तथा व्यापारियों की संख्या अधिक होती है। इस प्रकार असंगठित मंडियों में किसानों को उनकी उपज का वास्तविक मूल्य नहीं मिल पाता।

* भारत के कृषि-बाजार की वर्तमान व्यवस्था की प्रमुख समस्याएँ या दोष (Main Problems or Defects of the Agricultural Marketing in India)

भारत में कृषि-उपज की वर्तमान विक्रय-व्यवस्था में निम्नलिखित प्रधान दोष पाये जाते हैं -

(1) उपज के लिए कम मूल्य - उपज का अधिकांश भाग गाँवों में ही कम मूल्य पर बेच दिया जाता है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य भी नहीं प्राप्त हो पाता। ऐसा बहुत से कारणों से होता है। गाँवों में मध्यस्थों की प्रधानता रहती है जो गाँव-गाँव में घुमकर किसानों की अतिरिक्त उपज क्रय करते हैं। साथ ही, ग्रामीण किसान बहुधा कर्ज के बोझ से लदा रहता है जिससे बाध्य होकर उसे अपनी रकम साहूकार-सह-व्यापारी के हाथ कम मूल्य पर बेचनी पड़ती है।

(2) यातायात एवं संवाद्वाहन के साधनों का अभाव - भारत में यातायात तथा संवाद्वाहन

Scanned by CamScanner

संवादवाहन के साधनों का सामान्यता अभाव है। यहाँ प्रति 100 वर्ग मील में कुल 3 मील रेल लाइनें हैं जबकि इंग्लैंड में प्रति एक सौ वर्गमील में 22.7 मील तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में 27 मील रेल लाइनें हैं। अच्छी ~~सड़कें~~ सड़कों का तो हमारे देश में और भी अभाव है। यहाँ प्रति सौ वर्गमील क्षेत्र में केवल 23 मील ही सड़कें हैं जबकि ब्रिटेन में 207 मील, जापान में 379 मील तथा अमेरिका में 101 मील सड़कें प्रति एक सौ वर्गमील में हैं। जो सड़कें हैं वो भी नाम-मात्र की हैं, उनकी स्थिति ~~में~~ बड़ी दयनीय है तथा वर्षा के मौसम में वे बिलकुल काम नहीं करतीं।

(3) वर्गीकरण तथा नमूने की सुविधा का अभाव (Lack of grading and sampling) - भारत में कृषि उपजों के वर्गीकरण तथा नमूने की सुविधा का भी अभाव पाया जाता है। सन् 1937 ई० में कृषि उपजों के वर्गीकरण तथा विक्रय-सम्बन्धी कानून [Agricultural Produce (Grading and Sampling) Act] के फलस्वरूप वर्गीकरण की दिशा में कुछ खास कार्य अवश्य हुए हैं। इसके अनुसार कर्मचारियों के निरीक्षण में खास-खास वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाता है तथा उस पर 'आग मार्क (Agg Mark) का लेबल लगाकर बाज़ार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। किन्तु यह सुविधा अधिकांशतः निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं के साथ ही पायी जाती है।

(4) दोषपूर्ण किस्म (Defective Quality) - भारतीय कृषि की उपज संसार के अन्य बाजारों में अधिकाधिक मात्रा में नहीं बिकती क्योंकि इनकी किस्म बहुधा अच्छी नहीं होती। इनकी दोषपूर्ण किस्म के अनेक कारण हैं, जैसे उत्तम बीज का अभाव, पौधों के रोगों तथा कीड़े-मकोड़े से फसलों की बर्बादी, फसल काटने की प्राचीन एवं अवैज्ञानिक पद्धति, गोदाम में वस्तुओं के संचय की सुविधा का अभाव, संतोषजनक एवं वैज्ञानिक वर्गीकरण का अभाव इत्यादि।

(5) अत्यधिक बिचौलियों का रहना (Large number of middlemen) - हमारे देश में किसान तथा उनकी उपज के अन्तिम उपभोक्ताओं के बीच बिचौलियों की एक लम्बी लड़ी के रूप में व्यापारियों एवं दलालों का एक बहुत बड़ा समूह पाया जाता है। उदाहरण के लिए, व्यापारी, कच्चा आढ़तिया, दलाल, पक्का आढ़तिया, थोक व्यापारी एवं खुदरा व्यापारी आदि। इनमें से प्रत्येक अपनी सेवाओं के लिए कुछ अवश्य ही लेते हैं जिससे इन वस्तुओं के मूल्य में अनावश्यक ~~रूप~~ रूप से वृद्धि हो जाती है। साथ ही, किसानों को भी उचित मूल्य नहीं मिल पाता।

(6) गोदाम तथा संचय गृहों की सुविधा का अभाव - भारत में कृषि-उपज के संचय

Scanned by CamScanner

के लिए गाँवों में गोदामों की भी व्यवस्था नहीं है। संचय की सुविधा के अभाव में बहुत-सा अनाज भूमि के नीचे अथवा मिट्टी के बर्तन में चूहें चीटियों की मर्जी पर छोड़ दिया जाता है। पानी पड़ने से इनके सड़ने का भी भय रहता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वर्तमान व्यवस्था में गाँवों में जो अन्न संचय की व्यवस्था उपलब्ध है ~~xxx~~ इसमें 10 से 20% तक अन्न चूहे अथवा चीटियों द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है।

(4) बाजार में धोखेबाजी का अधिक होना – • दोषपूर्ण वजन तथा तौल
• मंडी तथा बाजार के शुल्क
• बाजार में बहुत से दलाल पाये जाते हैं जो बहुधा आढ़तियों का ही पक्ष लेते हैं।

(5) विज्ञापन का अभाव – आज का युग विज्ञापन का युग है किन्तु किसानों के साथ यह सुविधा नहीं पायी जाती। भारतीय ~~कृषि~~ कृषि-बाजार में विज्ञापन की व्यवस्था का पूर्णतया अभाव रहता है जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता।

Scanned by CamScanner